

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 14/2024-25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना) —बनाम— हेमंत कुमार, वगै०

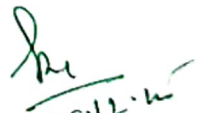
आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिकी काण्ड सं०— 24/2025 एवं डुमरी थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 10/2025 दिनांक— 04.06.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. हेमंत कुमार, पिता गोपाल साव, सा०— डुमरी 2. आरिस खान, पे० स्व० इब्राहिम अंसारी, सा० डुमरी 3. करीम खान, पो० अयुब खान, सा० डुमरी बेलटोली 4. सुरेन्द्र उरांव, पे० स्व० बिरसाय उरांव, सा० लोहड़ा 5. निरंजन साव, पे० बिदेशी साव, सा० डुमरी 6. आरिफ खान, पे० इब्राहीम खान, सा० डुमरी 7. आजम खान, पिता वाज खान, सा० बेलटोली 8. महेन्द्र कुम्हार उर्फ महतो, पे० जीतू लोहार, सा० जैरागी 9. अखिलेख साहु उर्फ अविनाश कुमार, पे० संजय साहु 10. रत्नेश साहु उर्फ तनुज भारती, पे संजय साहु, सा० जैरागी 11. प्यारे हुसैन, पिता स्व० गफ्फर खाँ, ग्राम जैरागी 12. लन कुमार गुप्ता, पे० स्व० रामजी गुप्ता, पे० स्व० रामजी गुप्ता, सा० जैरागरी, सभी थाना— डुमरी, जिला— गुमला को ई—उल—जुहा (बकरीद) 2025 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्षकारों द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया परन्तु शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि द्वितीय पक्षकार लोक परिशांति व विधि—व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।